संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/96/05/2022 दिनांकः 12 मई 2022

<u>सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर)</u>

विषयः निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के लिए अग्नि बीमा उत्पादों की फाइलिंग

1. प्राधिकरण ने अधिसूचना एफ. सं. आईआरडीएआई/गैर-जीवन बीमा/5/171/2020 के द्वारा कुछ जोखिमों के लिए पूर्व के अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (एआईएफटी) की अधिसूचना को निरस्त (डी-नोटिफाई) किया। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2021 से विनिर्दिष्ट जोखिमों के लिए अग्नि और संबद्ध जोखिम कवर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में घोषित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।
2. तदनुसार, प्राधिकरण ने निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों हेतु अग्नि और संबद्ध जोखिमों के लिए मानक उत्पादों अर्थात् भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश संदर्भ. आईआरडीएआई/एनएल/ जीडीएल/विविध/004/01/2021 और आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/विविध/005/01/ 2021 दिनांक 4 जनवरी 2021 के अनुसार दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन मानक उत्पादों ने उक्त नामोल्लिखित जोखिमों के लिए मानक अग्नि और विशेष जोखिम (एसएफएसपी) नीति को प्रतिस्थापित किया तथा उक्त मानक उत्पादों को छोड़कर किसी अन्य उत्पाद को अग्नि और संबद्ध जोखिमों के लिए अनुमति नहीं दी गई।
3. व्यवसाय की अग्नि व्यवस्था में नये कवरों के लिए बढ़ती हुई माँग पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा साधारण बीमाकर्ताओं को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना के द्वारा संबंधित अधिसूचना के निरस्त (डी-नोटिफाई) किये गये जोखिमों के लिए, अग्नि और संबद्ध जोखिमों को कवर करनेवाले वैकल्पिक उत्पाद अभिकल्पित करने और फाइल करने की अनुमति देता है। ऐसे वैकल्पिक उत्पाद उक्त मानक उत्पाद के परिवर्तित रूप (वेरियेश्न्स) हो सकते हैं तथा उनमें मूल उत्पाद के भाग के रूप में पहले से अनुमोदित ऐड-आन शामिल किये जा सकते हैं। तथापि, मानक उत्पाद में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ और वाक्यरचना उक्त वैकल्पिक उत्पादों में प्रयुक्त किये जाने पर भी उन शब्दों के लिए संदर्भ बिन्दु होंगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त उत्पादों का कीमत-निर्धारण संबद्ध जोखिमों के अनुरूप होगा।
4. बीमाकर्ता नये वैकल्पिक उत्पादों के लिए वर्तमान उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
5. वैकल्पिक उत्पादों की अनुमति देना निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा करता हैः
   क) बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के विकसित हो रहे अग्नि बीमा जोखिमों का बीमा करना।
   ख) वर्तमान अग्नि बीमा उत्पादों में संरक्षण अंतरालों की पहचान करना तथा उपयुक्तता और वहनीयता के तौर पर पालिसीधारकों के हितों पर समुचित रूप में विचार करते हुए बाजार की परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं का समाधान करना।

ग) अग्नि बीमा बाजार के स्वस्थ और धारणीय विकास का संवर्धन नये और वैकल्पिक उत्पादों के साथ करना जो मानक उत्पादों के अतिरिक्त, पालिसीधारकों को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराते हैं।

6. यह परिपत्र 1 जून 2022 से प्रभावी होगा।
7. नये कवर प्रस्तावित करने के प्रयोजन के लिए प्रचलित मानक पालिसियाँ निरस्त नहीं की जाएँगी।

कृपया प्राप्ति-सूचना दें और इस परिपत्र की विषय-वस्तु को नोट करने की पुष्टि करें।

(यज्ञप्रिया भरत)
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)